

सप्तम माला, 22 जनवरी, 1980/ माघ, 1901 (शक)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(पहला सत्र)



(संड 1 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

विषय-सूची

अंक 2, मंगलवार, 22 जनवरी, 1980/2 माघ, 1901 (शक)

विषय	पृष्ठ
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	1-2
अध्यक्ष का निर्वाचन	2-3
अध्यक्ष महोदय को बधाइयां :	3-15
श्रीमती इन्दिरा गांधी	
श्री चरण सिंह	
श्री समर मुखर्जी	
श्री रवीन्द्र वर्मा	
श्री सी० टी० दंडपाणि	
श्री यशवन्तराव चव्हाण	
श्री इन्द्रजीत गुप्त	
श्री त्रिदिव चौधरी	
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट	
श्री चित्त बसु	
डा० फारूक अब्दुल्ला	
श्री एन० सुन्दरराजन	
श्री फ्रैंक एन्यनी	
अध्यक्ष महोदय	

लोक सभा

मंगलवार, 22 जनवरी, 1980/2 माघ, 1901 (शक)

लोक सभा ग्यारह वजे समवेत हुई ।

[सामयिक अध्यक्ष महोदय (श्री जगजीवन राम) पीठासीन हुए]

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

श्री एस० एस० कृष्णा (माण्ड्या)

श्री पी० जे० कुरियेन (मवीलीकारा)

श्री ए० आर० रहीम (चिरयिकिल)

श्री बाला साहिब बिखे पाटिल (कोपरगांव)

श्री मोरे राम कृष्ण सदाशिव (खैड)

श्री पाटिल बसन्तराव बंदुजी (सांगली)

श्री नारायण साहू (देवगढ़)

श्री कामध्या प्रसाद सिंह देव महेन्द्र बहादुर (धेन्कानल)

डा० आर० रोथुआमा (मिजोरम)

श्री फतेह मानु सिंह (घार) (अ० ज० जा०)

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : नियम 376 तथा निदेश संख्या 2 के अधीन मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । सभा के समक्ष अध्यक्ष के निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव है । निदेश संख्या 2 के अनुसार स्थगन प्रस्तावों एवं ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को प्रस्तुत प्रस्ताव से पहले लिया जाना चाहिये । मेरी पार्टी ने आसाम और मेघालय को स्थिति पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एवं देश में गम्भीर मूल्य वृद्धि और मिट्टी के तेल और डीजल की कमी के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी । मैं इस बारे में आपका विनिर्णय चाहता हूँ, कि क्या सभा इस प्रस्ताव पर विचार कर सकती है (व्यवधान) कल से मैंने 51 रुपए दैनिक भत्ता लेना शुरू कर दिया है ।

एक माननीय सदस्य : इससे समस्या का समाधान नहीं होगा (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : निदेश 2 के अनुसार इन मामलों को प्रस्तुत प्रस्ताव की तुलना में प्राथमिकता दी जानी चाहिये। यदि आप नियम 56 को भी पढ़ें तो स्पष्ट हो जाएगा कि इन प्रस्तावों को अन्य कार्य को स्थगित कर के लिया जाना चाहिये। मेरा निवेदन है कि आप इस बारे में अपना निदेश दें ताकि आगे कार्य किया जा सके।

सामयिक अध्यक्ष महोदय : माननीय सभा के पुराने तथा अनुभवी सदस्य हैं। उन्हें नियमों की जानकारी है। मैं समझता हूँ कि उन्हें प्रथाओं की भी जानकारी है . . .

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस बारे में या तो नियम होना चाहिये या निदेश होना चाहिये कि क्या प्रथाओं को नियमों तथा निदेशों की तुलना में प्राथमिकता मिलेगी। उसे भी लेखबद्ध कर दिया जाये तब वे मेरे लिए बाध्य हो जायेंगे।

सामयिक अध्यक्ष महोदय : यथा समय उसे लिखित रूप दे दिया जाएगा। परन्तु सच यह है कि सभा में कुछ प्रथाओं का पालन किया जाता है। इस अवसर पर भी प्रथा का पालन किया जायेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ये बहुत गम्भीर मामले हैं। मेरी पार्टी ने आसाम की घटनाओं पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा देश में भारी मूल्य वृद्धि, मिट्टी के तेल और डीजल के अभाव पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। मैं चाहता हूँ कि आप उस पर निर्णय दें।

सामयिक अध्यक्ष महोदय : प्रथा सदस्य को प्रस्ताव रखने से रोकती नहीं। आप कुछ धैर्य रखें, प्रथा का पालन करें तथा राष्ट्रपति के अभिभाषण के पश्चात् अपने उन प्रस्तावों को रखें।

अध्यक्ष का निर्वाचन

सामयिक अध्यक्ष महोदय : श्रीमती इन्दिरा गांधी अब अपना प्रस्ताव रखें।

प्रधान मंत्री और सभा की नेता (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं प्रस्ताव करती हूँ :

“कि श्री बलराम को, जो इस सभा के सदस्य हैं, इस सभा का अध्यक्ष चुना जाये।”

सामयिक अध्यक्ष महोदय : श्री बलिराम भगत इस प्रस्ताव का समर्थन करें।

श्री बलिराम भगत (सोतामढ़ी) : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

सामयिक अध्यक्ष महोदय : श्री नारायण दत्त तिवारी अब अपना प्रस्ताव रखें।

श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि श्री बलराम को, जो इस सभा के सदस्य हैं, इस सभा का अध्यक्ष चुना जाये।”

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

सामयिक अध्यक्ष महोदय : अब मैं पहले प्रस्ताव, अर्थात् श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा पेश किये गये तथा श्रीवलिराम भगत द्वारा समर्थित प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखता हूँ ।

प्रश्न यह है :

“कि श्री बलराम को, जो इस सभा के सदस्य हैं, इस सभा का अध्यक्ष चुना जाये ।”

जो सदस्य पक्ष में हैं वह “हां” करें ।

माननीय सदस्य : हां ।

सामयिक अध्यक्ष महोदय : जो सदस्य विपक्ष में हैं वे “नहीं” करें ।

मैं समझता हूँ कि प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सामयिक अध्यक्ष महोदय : मैं श्री बलराम को इस सभा का विधिवत् निर्वाचित अध्यक्ष घोषित करता हूँ । मैं अब श्री बलराम को पीठासीन होने के लिए आमंत्रित करता हूँ ।

प्रधान मंत्री तथा श्री चरण सिंह श्री बलराम को अध्यक्ष पीठ तक ले गये ।

[अध्यक्ष महोदय (श्री बलराम पीठासीन हुए)]

अध्यक्ष को बधाइयां

प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, मैं आपको इस महान पद सम्भालने पर बधाई देती हूँ । इस अवसर पर मैं सभा के सदस्यों को भी उनके निर्वाचन पर बधाई देती हूँ ।

श्रीमान्, यह बसन्त ऋतु का प्रथम दिवस है जिसे परम्परागत रूप से शुभारम्भ का प्रतीक माना जाता है । यह दिवस ज्ञान और संस्कृति को समर्पित है । यह एक सुखद संयोग है कि आपका चुनाव आज हुआ है । इससे इस घटना का महत्व और बढ़ गया है ।

भारत प्राचीन परम्परा के पालन के लिए प्रसिद्ध है । तथापि वह नई परिस्थितियों तथा नई चुनौतियों का सामना करने के लिए सदैव तत्पर है । इस तेज और गतिशील संसार में न केवल आवधिक रूप से अपितु निरन्तर रूप से नये दृष्टिकोण अपनाये जाने की आवश्यकता है ।

श्रीमान्, आप एक कृपक हैं इस नाते आपको हमारे देश के बहुसंख्यक जनता की कठिनाइयों का अनुभव है, इन्हीं लोगों पर हमें अपने अस्तित्व के लिए निर्भर रहना पड़ता है । भारतीय किसान न केवल अपनी समझ एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण के लिए, अपितु धरती के प्रति अपनी निष्ठा के लिए प्रसिद्ध हैं । आप व्यक्तियों एवं विषयों के अच्छे जानकार हैं तथा आप अपनी नम्रता और शिष्टाचार के लिए प्रसिद्ध हैं । यह कार्य आपके लिए उसी प्रकार नया है जैसे कि हममें से कइयों के लिए इस महान सभा की सदस्यता नई बात है ।

मुझे विश्वास है कि आप शीघ्र ही नियमों, विनियमों और प्रथाओं के ताने-बाने में से अपना मार्ग ढूँढ निकालेंगे तथा सभा के सभी वर्गों के साथ न्यायपूर्ण तथा निष्पक्ष व्यवहार करेंगे। परन्तु हमें दो बातों को नहीं भूलना चाहिये, एक—कि नियम नियमों के लिए नहीं हैं अपितु सभा के कार्यसंचालन में सुविधा लाने के लिए हैं और दूसरे—इस सभा का उद्देश्य केवल चर्चा, वाद-विवाद और वाक्युद्ध करना ही नहीं है अपितु लोगों की विविध एवं गम्भीर समस्याओं का समाधान खोजना भी है।

अध्यक्ष महोदय, इस सभा की श्रेष्ठ परम्पराओं के संरक्षक हैं। इस सभा की गरिमा बनाये रखना आपका कर्तव्य है। बेशक मेरी पार्टी को भारी बहुमत प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ है फिर भी हम किसी पक्षपात की आशा नहीं करते। इस विपक्ष के महत्व को समझते हैं। विपक्ष को अपना अधिकार अवश्य मिलना चाहिये। परन्तु मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका यह अर्थ नहीं है कि सरकार के अनेक कर्तव्यों के पालन में बाधा पदा की जाये। हमें वह महान कार्य करना है जिसका महत्व एवं गहनता विश्व में अन्यत्र नहीं मिलती। हम सभा के सभी पक्षों से सहयोग की आकांक्षा करते हैं।

एक बार फिर मैं सभा की ओर से तथा अपनी ओर से अध्यक्ष महोदय को बधाई देती हूँ तथा उन्हें पूरे सहयोग का आश्वासन देती हूँ।

श्री चरन सिंह (वागपत) : अध्यक्ष महोदय, इस महान सभा के अध्यक्ष पद पर आपके निर्वाचन पर आपको सच्चे दिल से बधाई देता हूँ। संसदीय संस्थाओं की सफलता में आपका महत्वपूर्ण दायित्व है। यह उसी पर निर्भर करता है कि अध्यक्ष महोदय सभा की कार्यवाही किस प्रकार चलाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभा की कार्यवाही को निष्पक्षता से चलाने के लिये हम जनहित का ध्यान रखेंगे। यदि, हाल की तरह देश में यह धारणा बन जाती है कि संसद् की कार्यवाही गरिमापूर्ण रीति से नहीं की जा रही तो इससे संसद् की गरिमा कम होगी। हमें उम्मीद है कि आप अपने कर्तव्य का दृढ़ता एवं निष्पक्षता से पालन करेंगे तथा सभा में व्यवस्था बनाये रखेंगे ताकि हर एक व्यक्ति अपनी बात कह सके।

शायद मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं कि किसी वाद-विवाद, संस्थान, सभा और सम्मेलन का पहला नियम यह है कि किसी को भी किसी अन्य व्यक्ति पर आक्षेप नहीं करने देना चाहिये। यदि एक बार आक्षेप कर दिए जाते हैं तो सारा वातावरण भ्रष्ट हो जाता है, गरमी पदा हो जाती है, और कभी-कभी चुनौतियां आदि दी जाने लगती हैं। मुझे उम्मीद है कि सभापीठ पर बैठते समय आप यह भूल जायेंगे कि आप किसी राजनीतिक दल के सदस्य हैं। तथा अपने को इस पूरी सभा के अधिकारों और विशेषाधिकारों का संरक्षक समझेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप विपक्ष के अधिकारों का संरक्षण करेंगे शासक दल बहुमत में है। मुझे उम्मीद है कि शासक दल बहुमत से विपक्ष के अधिकार को कुचलेगा नहीं। परन्तु यदि ऐसा होता है तो हम संरक्षण के लिए केवल आपकी तरफ निहार सकते हैं। ऐसे मामलों का जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है उनके बारे में अधिकार अध्यक्ष महोदय के पास है। मुझे उम्मीद है कि आप यह देखने की चेष्टा करेंगे कि शासक दल का भारी बहुमत विपक्ष के अधिकारों का हनन न कर सके।

हन शब्दों के साथ, मैं पुनः आपके इस महान पद पर चुनाव के लिए आपको बधाई देता हूँ।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा): महोदय, इस उच्च पद के लिये निर्विरोध चुने जाने पर मैं आपको बधाई देता हूँ। एक नई सरकार पुरानी पृष्ठभूमि के साथ सत्ता में आई है इसी कारण से हमें काफ़ी आशंका है। इस संसद् को भी अपनी पृष्ठभूमि है। इस संसद् में हम बहुत ही कोलाहलमय वातावरण का अनुभव कर चुके हैं। मेरा विचार है कि आपका कार्य बहुत आसन नहीं है। संसद् में पक्षपातरहित शालीनता तथा मान-मर्यादा को बनाये रखना बहुत ही कठिन कार्य है।

हमारा संसदीय लोकतन्त्र इस समय बहुत ही दबाव तथा तनावपूर्ण स्थिति में है तथा राज्यों में मैं देख रहा हूँ कि सरकारों को गिराने का कार्य जारी है। यह बात बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हाल ही में केबिनेट के एक मंत्री ने यह कहा है कि पश्चिमी बंगाल की वाम पन्थी मोर्चा सरकार को समाप्त कर दिया जाये। (व्यवधान) मैं नहीं जानता कि इससे लोकतन्त्र मजबूत होगा अथवा नहीं। लेकिन इसका तात्पर्य यह है कि अवांछनीय लोकतन्त्रीय शक्तियों को उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा। संसद् देश में सबसे बड़ा निकाय है, जहाँ पर जनता की शिकायतों पर ध्यान दिया जाना चाहिये। अतः यदि संसद् से बाहर स्थिति अनियन्त्रित होती है, तो बाहर के वातावरण का हम पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसी कारण से एक मजबूत तथा पूर्णतः पक्षपात विहीन अधिकरण की आवश्यकता है ताकि यहाँ पर शान्तिपूर्ण वातावरण में वार्तालाप किया जा सके। इसलिये मैं आशा करता हूँ कि बाहर के वातावरण को ध्यान में रखते हुए, इस सदन की शालीनता तथा मान-मर्यादा को पूर्णतः विना पक्षपात के बनाये रखने में आप अपने अधिकार का पूरा उपयोग करेंगे। अन्यथा, संसदीय लोकतन्त्र खतरे में पड़ जायेगा।

मैं अपनी पार्टी की ओर से तथा जनता की ओर से जिसका हम प्रतिनिधित्व करते हैं आपको अपने कार्य करने में पूरा सहयोग देने का वचन देता हूँ मुझे आशा है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को सही रूप से निभायेंगे तथा अपने कार्यों को विना पक्षपात के करेंगे। इसके साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई उत्तर): अध्यक्ष महोदय, इस उच्च पद पर आपके चुने जाने पर सदन के नेता तथा अन्य माननीय सदस्यों द्वारा बधाई दिये जाने के साथ-साथ ही मैं भी जनता पार्टी की ओर से आपको बधाई देता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, आज आप उच्च उत्तरदायित्वों वाले पद को ग्रहण कर रहे हैं, जिसमें संसदीय प्रणाली की परम्परायें निहित हैं। जो लोकतन्त्र में विश्वास करने वाले लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के प्रतीक के रूप में है। तथा जिसके दृढ़ संकल्प द्वारा समग्र रूप से संसद् तथा प्रत्येक संसद् सदस्य के अधिकारों तथा प्रतिष्ठा को बढ़ावा मिलता है। जिनको कि लोगों ने अपनी इच्छा से देश की सार्वभौमिक जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिये चुना है। इतिहास में भी उदाहरण मिलता है कि सभा के अधिकारों का उल्लंघन करने की बजाय कठिनाई का सामना किया गया है।

आप एक ऐसे पद को सम्भाल रहे हैं, जो किसी भी देश में संसदीय प्रणाली की जीवन रेखा होती है। आप हमारे देश में एक ऐसे पद को सम्भाल रहे हैं, जिस पर आसीन रह कर आप यह गर्व कर सकते हैं कि पहले बहुत से ऐसे माननीय अध्यक्ष रह चुके हैं, जिन्होंने लोगों के अधिकारों को बनाये रखने के लिये प्रोत्साहन दिया तथा लोगों के अधिकारों का हनन करने वालों का विरोध करने वालों का समर्थन किया।

महोदय, आज आप निर्विरोध रूप से इस सदन के अध्यक्ष चुने गये हैं। अब आपका बहुमत वाले शासक दल से कोई सम्बन्ध नहीं है। अब आप संसद सदस्यों, हाउस ऑफ़ दि प्युपिल से अर्थात् समूची लोकसभा से सम्बन्धित है। इसमें कोई भी सन्देह नहीं है कि जो उत्तरदायित्व अब आप सम्भाल रहे हैं वह विशेषकर देश की वर्तमान परिस्थिति में बहुत ही कठिन है। अपनी पार्टी की ओर से मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि इस कठिन उत्तरदायित्व को निभाने में हमारे दल का प्रत्येक सदस्य आपको पूरा-पूरा सहयोग देगा। लेकिन सन्तुलन को बनाये रखना तथा यह सुनिश्चित करना आप पर निर्भर है कि इस सभा के प्रत्येक सदस्य को सदन में तथा सदन के बाहर एक समान अधिकार प्राप्त हों।

एक सभा में, संसद में संख्या का महत्व होता है। इसके बावजूद मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह सुनिश्चित करना कि इस सदन के प्रत्येक सदस्य के अधिकारों को न छीना जाये, अध्यक्ष की जिम्मेदारी है।

ऐसा कहा गया था कि आप इस सदन के लिये एक नये व्यक्ति है, लेकिन इसके साथ ही ऐसे बहुत से माननीय सदस्य भी हैं, जो इस सदन में पहली बार आये हैं। पहले आप क्या थे इसका अधिक महत्व नहीं है। बल्कि अध्यक्ष पद को सम्भालने के लिये कठोर चुनौतियों तथा उत्तरदायित्वों का सामना करने की आपकी प्रतिक्रिया है जो आप में निहित है।

महोदय, अपनी पार्टी की ओर से, मैं आपको एक बार दोबारा पूरा-पूरा सहयोग देने का आश्वासन देता हूँ, और यह कामना करता हूँ कि आप अपने कार्य को, जिसे आज आपको सौंपा गया है अच्छी तरह से पूरा करेंगे।

श्री सी० टी० दण्डापाणि (पोलाची) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर मैं द्रविड़ मुनेत्र कजगम दल की ओर से आपको बधाई देता हूँ।

महोदय, मुझे यह जानकर वास्तव में बहुत ही प्रसन्नता हुई है कि आप पद्म-दलित तथा गरीब जनता के कल्याण के लिये अग्रীব रहे हैं। मुझे यह भी मालूम है कि आपने अपने राज्य में मंत्री पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों को निडर तथा बिना पक्षपात के निभाया है।

महोदय, आप जैसे उपयुक्त व्यक्ति को उचित समय पर उच्च पद दिया गया है। हाल ही की अभूतपूर्व विजय राजनीतिक ध्रुवीकरण का परिचायक है तथा डी० एम० के० पार्टी इसमें ही विश्वास करती है। इस देश के लोगों ने स्थायी तथा जागरूक सरकार के लिये अपना मत दिया है। मैं आशा करता हूँ कि यह सभा आपके मार्गदर्शन तथा नेतृत्व के अन्तर्गत इस वचनबद्धता को पूरा करेगी तथा यह पूरी अवधि तक बनी रहेगी।

महोदय, देश की जनता द्वारा भारी बहुमत से शासन करने का अधिकार दिया गया है। जिससे व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्णतः समाप्त हो गया है। इससे जनता की इच्छा स्पष्ट होती है। इस सदन में कोई भी मान्यता प्राप्त विपक्षी दल नहीं है। जिसका तात्पर्य यह है कि लोगों ने उनको विपक्ष के रूप में स्वीकार नहीं किया है। अतः यहाँ केवल अलग-अलग गुट ही मौजूद है। महोदय, इन परिस्थितियों में आपका कार्य बहुत दुष्कर हो जायेगा। यह एक प्रमाणित तथ्य है कि अध्यक्ष निष्पक्षता का प्रतीक होता है तथा अध्यक्ष को अपने अधिकार को एक निष्पक्ष न्यायमूर्ति की भाँति पूर्णतः तटस्थता से प्रयोग में लाना चाहिये।

इसके साथ ही सदन में विधान सम्बन्धी, संवैधानिक पहलुओं तथा बहुत से तकनीकी मसले उत्पन्न हो जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ऐसे मामले में अपनी व्यवस्था देते समय आपको लोगों की आकांक्षाओं तथा इच्छाओं को भी ध्यान में रखना चाहिये, जिन्हें इस सदन से बहुत सी अपेक्षाएँ हैं। केवल तकनीकी तथा संवैधानिक पहलुओं की ओर ध्यान देने से ही ग्राम आदमी को संतुष्ट नहीं मिलेगी। इन सब के साथ मैं आपको डी० एम० के० पार्टी की ओर से बधाई देता हूँ तथा आश्वासन देता हूँ कि डी० एम० के० पार्टी संसद में निश्चय ही मान-मर्यादा, शालीनता बनाये रखेगी। डी० एम० के० पार्टी की ओर से मैं आपको दोबारा बधाई देता हूँ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण (सतारा) : अध्यक्ष महोदय, इस उच्च पद के लिये आपको चुने जाने पर जिसकी हिछले 30 वर्षों से बहुत अच्छी परम्परायें रही हैं, मुझे हार्दिक बधाई देने की अनुमति दी जाये। आपसे पहले जिन लोगों ने इस पद को सुशोभित किया है वे बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और आज आप भी उन प्रतिष्ठित व्यक्तियों की श्रेणी में सम्मिलित हो रहे हैं। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूँ कि "अच्छा कार्य करो तथा इस सदन की मर्यादाओं को कायम रखा जाये।"

आज सुबह आपके वारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये मैं अध्ययन कर रहा था तथा मुझे एक बहुत ही मुख्य बात यह लगी कि आप पंजाब विधान सभा में विपक्ष के नेता थे। यह सुनकर तथा पढ़ कर मुझे बहुत उत्साह मिला कि एक व्यक्ति जिसे विपक्ष में बैठने का अवसर मिला है, वह अध्यक्ष का पद सम्भाल रहा है। अतः सम्भवतः आप से विपक्षी दलों के हितों को ध्यान में रखने के लिये निवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

महोदय, गत अनेक वर्षों से इस सदन का सदस्य होने के नाते मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताना चाहता हूँ। मैंने यह पाया है कि इस पीठ पर सफलतापूर्वक कार्य करने के लिये जो कहीं अधिक महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि इस सभा की भावना को समझा जाए, क्योंकि सभा की मनोवृत्ति में ही राष्ट्रीय भावना प्रतिबिम्बित होती है। अतः यह अत्यन्त ही महत्वपूर्ण बात है इसलिये इस सदन में प्रवेश करने से पहले प्रथम बात जो आपने ध्यान में रखनी है वह सदन की भावना और वह यही है कि यदि आप देश की मनोदशा के निर्णय के साथ प्रवेश करते हैं तो सम्भवतः इससे आपको सभा में कठिन समय में सफलतापूर्वक कार्यसंचालन में सहायता मिल सकेगी। इस देश में लोकतन्त्र का सही संचालन हमारे लिये और हम में से प्रत्येक के लिए बड़ी ही मूल्यवान बात है, परन्तु लोकतन्त्र का संचालन तो इस लोकसभा के कार्य संचालन पर निर्भर करता है और यदि यह यथाप्रथा शिष्टाचार और मर्यादा तथा अन्य बातों के अनुरूप सही ढंग से कार्य नहीं करती तो सम्भवतः इस देश में अपनाए गये लोकतान्त्रिक मूल्यों के मानदण्डों में किसी हद तक गिरावट आ सकती है।

इसलिये अधिकांश आपकी इस उद्देश्य परकता पर निर्भर करता है कि आप स्थिति का जायजा और उन लोगों का जायजा जो इस सभा की बैठक में भाग लेते हैं, किस प्रकार लेते हैं, आदि आदि।

मुझे विश्वास है कि एक अच्छे कृषक होने के नाते, सम्भवतः आपके यह गुण भी आपके लिये यहाँ सहायक सिद्ध हो क्योंकि मुझे बताया गया है कि आपको उद्यान पण्डित का पारितोषिक दिया गया था और आप बहुत अच्छे माली भी हैं। यदि आप अपना कार्य सफलतापूर्वक निपटाना चाहते हैं तो आपको लोगों को उबारना होगा, संवारना होगा और वह भी विशेषकर सदन में इस ओर बैठे हुए लोगों को। अच्छा, तो अब मेरी शुभ-कामनाएं लीजिए और देशहित में कार्य करते चलिये।

श्री इन्द्रजीत गुत (बसीरहाट) : महोदय, इस उच्च पद पर आपके निर्विरोध चुने जाने पर आपके स्वागतार्थ अन्य सहकर्मियों द्वारा व्यक्त किए गये उद्गारों का सहभागी बनते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है।

महोदय, अन्य सदस्यों ने इस तथ्य का हवाला दिया है कि सत्ताधारी दल का बड़ा बहुमत है और विशेषकर यह बात कही है कि इस सदन में उसका दो-तिहाई बहुमत है। उन्होंने यह बात भी उठाई है कि इस ओर कोई मान्यता प्राप्त विपक्ष नहीं है, अपितु विपक्षी दल मात्र हैं। यह है तो सत्य, परन्तु इसके साथ ही साथ मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि आप सदैव यह बात ध्यान में रखें कि सत्ताधारी दल को चुनावों में विजय केवल कुल पड़े मतों का 42.68 प्रतिशत मत प्राप्त करके मिली है जब कि विपक्ष को, चाहे वह संगठित नहीं हैं कुल मतों में से 57.42 प्रतिशत मत प्राप्त हुए हैं (एक माननीय सदस्य : वही पुरानी कहानी)। ठीक है यह पुरानी ही बात हो सकती है परन्तु बहुत सी पुरानी बातों को नवीन रूप में रखना पड़ता है। अतः आपको यह बात ध्यान में रखनी होगी कि यह निश्चित करने के लिए कि यहाँ हमें अपने अधिकारों के उपयोग करने और स्वयं को अभिव्यक्त करने हेतु पूर्ण अवसर प्राप्त हों (जिसके लिए इस सदन में विपक्ष का आपके हस्तक्षेप पर पूर्ण हक है। व्यवधान)। मैं यह भी जानता हूँ कि किसी भारी बहुमत के प्रति शंका-भय व्यक्त करना आदि-आदि भी पुरानी कहानी है। परन्तु मैं आशा करता हूँ कि आपके और हमारे वास्ते, दोनों के हित में बड़े दिन फिर कभी इस सदन में देखने को नहीं मिलेंगे जबकि लोगों द्वारा चुन कर भेजे गये सदस्यों को उस स्थिति में डाल दिया गया जहाँ वे देश को यह बताने में असमर्थ थे कि वे यहाँ बैठकर क्या-क्या कह रहे थे, क्या कर रहे थे (एक माननीय सदस्य : कौसी लज्जाजनक बात है) उस समय पर आपके पूर्वाधिकारी—हमारे अच्छे मित्र जिनका हम बड़ा मान करते थे—ने उस स्थिति में अपनी असमर्थता के पक्ष में तर्क दिये थे। यहाँ हम केवल इस सदन की दीवारों के भीतर ही अपनी बात कहने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं अपितु चाहते हैं कि हमारी बात बाहर भी सुनी जाए। एक समय वह भी था जब कि इस दृग. से तानाशाही सेन्सर थोप दिया गया था कि इस सभा में दिए गए हमारे भाषणों और हमारी अभिव्यक्त की गई बातों को बाहर लोगों के पास तक नहीं पहुंचने दिया गया था। कुछ भी हो, मुझे विश्वास है कि समझ से काम लिया जायेगा और ऐसी घटनाएं आगे से नहीं घटेंगी।

महोदय, यह बात मैंने आपके लिए कही है, क्योंकि उस समय पीठ को बड़ी ही कठिन स्थिति में डाल दिया गया था और वह हमारे अधिकारों की रक्षा करने में बिल्कुल असमर्थ थी।

ऐसा पहली बार हुआ है कि हमें ऐसा अध्यक्ष मिला है जिसमें किसान और विद्वान दोनों के ही गुण समाहित हैं। यहाँ पर हमारे अध्यक्ष विद्वान भी रहे हैं और किसान भी,

परन्तु कभी पहले कोई ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष (सभापति) नहीं रहा जो किसान और विद्वान दोनों का ही सम्मिश्रण रहा हो। महोदय, अब आपको समय-समय पर उठने वाली कठिन और जटिल स्थितियों से जुझना पड़ेगा। महोदय, मेरा तो इतना ही कहना है कि आपको न केवल इस सदन को अपितु इसके बाहर व्याप्त मनोदशाओं के प्रति भी जिम्मेदार रहना होगा। हम तूफानी दौर से गुजर रहे हैं, बल्कि मुझे कहना चाहिये विकराल समय से गुजर रहे हैं और सदन के भीतर और बाहर राजनैतिक और आर्थिक समस्याओं पर आपसी झगड़े और झड़पें तो अपरिहार्य हैं जिन्हें यहाँ पर समूचित ढंग से उठाया जाना चाहिए। अतः मुझे आशा है कि आपका अर्जित समस्त अनुभव और समझदारी तथा आपका निष्पक्षता का स्वभाव, जिसका हमें विश्वासपूर्ण आशा है कि आप इस सदन में प्रदर्शन करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि सभा को कार्यवाही सम्मानित ढंग से चल रही है और कुछ भी ऐसी बात नहीं की जायेगी जिससे संसदीय संस्थाओं का अपमान या हानि न हो।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से आपके इस उच्च पद पर पहुँचने पर स्वागत करता हूँ और बधाई देता हूँ।

श्री त्रिदिव चौधरी (वरहामपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अध्यक्ष के उच्च पद पर आपके चुने जाने पर प्रधान मंत्री जी और इस सभा के अन्य विशिष्ट सदस्यों द्वारा आपके स्वागतार्थ प्रकट किए गए उद्गारों के प्रति सहमति प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह तो पहले ही बताया जा चुका है कि संसदीय प्रतिष्ठान में अध्यक्ष केन्द्र बिन्दु का कार्य सम्पन्न करता है और ग्रेट ब्रिटेन की उस संसद-मां से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त संसदीय लोकतन्त्र को भी यह एक स्वस्थ परम्परा रही है जिसकी परम्पराओं का हम अनेक रूपों में पालन करते हैं कि अध्यक्ष इस सदन के अधिकारों का संरक्षक होता है और सदन में विपक्ष भी सम्मिलित है। पंजाब विधान-सभा में विपक्ष के प्रतिष्ठित नेता होने के नाते आपको यह भलो भांति पता होगा कि जब किसी उस सरकार के पास जो भारी बहुमत में हो संसदीय प्रणाली के आधार पर देश पर शासन चलाने की शक्ति होती है तो वहाँ पर विपक्ष की आवाज भी लोकतन्त्र की आवाज होती है। महोदय, मुझे आशा है कि आपके सुयोग्य मार्गदर्शन में वह आवाज दबा नहीं दी जायेगी और उन नियमों की सीमा में जो इस सभा ने अपने कार्य संचालन के लिए बनाए हैं और जिन परम्पराओं का यह पालन करती है, उनके अन्तर्गत आप उसे पूर्णामिव्यक्त का अवसर प्रदान करेंगे। मैं अपने भाषण को लम्बा नहीं खींचना चाहता। मैं एक बार फिर आपको हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। धन्यवाद।

श्री इब्राहीम सुन्नेमान सेठ (मंजेरी) : अध्यक्ष महोदय, सातवीं लोक सभा के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुने जाने पर बधाई देने का अवसर मेरे लिए बड़े ही गर्व की बात है। इस उच्च पद पर आपके जैसे बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति के चुने जाने पर मैं प्रसन्न हूँ। महोदय, आप केवल मात्र एक किसान ही नहीं हैं, अपितु मैं समझता हूँ कि आप वह व्यक्ति हैं जिसे राजनैतिक क्षेत्र का और राज्य विधान-सभा में विपक्ष के नेता के रूप में भी विशद अनुभव प्राप्त है।

प्रधान मंत्री महोदय ने आपको संस्कृति और शिष्टाचार से सम्पन्न व्यक्ति बताया है। अतः मैं आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में आप लोक सभा के विशिष्ट अध्यक्ष के रूप में देदीप्यमान होंगे। आप यहाँ सभी सांसदों और दलों के अधिकारों के संरक्षक हैं। मैं आशा करता हूँ कि संसद के सभी वर्गों और लोक सभा के सभी भागों को आपके हाथों

समान व्यवहार, न्याय और निष्पक्ष बर्ताव प्राप्त होगा। विशेषरूप से मैं यह चाहूंगा कि हमारे जैसे छोटे दल को कहीं और अधिक अच्छा व्यवहार मिले।

मैं मुस्लिम लीग पार्टी की ओर से एक बार फिर आपको बधाई देता हूँ और आपकी चतुर्दिक सफलता की कामना करता हूँ। मैं संसद् में अपने दल मुस्लिम लीग पार्टी का सहयोग भी अर्पण करता हूँ और यह प्रार्थना करता हूँ :

“तुम सलामत रहो हजार बरस,

हर बरस में हों दिन पचास हजार।”

श्री चित्त बसु (वारसाट) : अध्यक्ष महोदय, इस महान सदन के अध्यक्ष के उच्च पद पर आपके उत्कर्ष के अवसर पर प्रधान मंत्री सहित सदन के अन्य विशिष्ट साथियों द्वारा दिये गये भव्य स्वागत में सहभागी बनते हुए मुझे अतीव प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है।

महोदय, आपका पद केवल ऊंचा ही नहीं है अपितु बड़े ही विश्वास और उत्तरदायित्व का निधान भी है। इस महान सदन के शिष्टाचार और सम्मान के संरक्षण का उत्तरदायित्व आपके कंधों पर आ पड़ा है। समग्ररूप में सदन के और इस सभा के प्रत्येक सदस्य के निजीरूप में प्राप्त अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा सुरक्षा और संरक्षण का भार, आप पर है। आप पर न केवल इस सदन द्वारा उत्तराधिकार में प्राप्त परम्पराओं के संरक्षण की जिम्मेवारी है, परन्तु उनका और आगे विस्तार करने, उनकी सम्पन्नता में वृद्धि करने का भी उत्तरदायित्व है। आप पर उस महान सदन में, जो कि भारतीयों की शीर्ष संस्था है, अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बातचीतों, वाद-विवादों का उत्तरदायित्व आ पड़ा है। एक शब्द में कहूँ तो मैं कहना चाहूंगा कि आपके कंधों पर, न केवल संसदीय लोकतन्त्र के स्वास्थ्य के अनुरक्षण का उत्तरदायित्व है अपितु इसको बनाए रखने और इसको और अधिक शक्तिशाली बनाने का भी उत्तरदायित्व आन पड़ा है।

सातवीं लोक सभा की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। इसका जन्म हमारे देश की असामान्य परिस्थितियों में हुआ है। सारा देश आर्थिक, राजनैतिक और अन्य संकटों दैवी परीक्षा से गुजर रहा है और यह संकट दबाव और तनाव पैदा करने वाला है। संसद् राष्ट्र का दर्पण होने के नाते, सांसद बाह्य मनीदशाओं को परिलक्षित कर सकते हैं या उनके प्रति प्रतिक्रिया कर सकते हैं। हमें आशा और विश्वास है कि आप एक अनुभवी संसदविज्ञ होने के नाते उस बात को समझेंगे। राजनैतिक विचारधाराओं के विभिन्न वर्गों से आने वाला इस सदन का प्रत्येक सदस्य इस सदन में उन समस्याओं को स्पष्ट करना अपना उत्तरदायित्व मानता है। नियमों की परिसीमा में, हमें आशा और विश्वास है कि उन राष्ट्रीय समस्याओं को उठाने में आप अपना सहयोग, सहायता और मार्गदर्शन अवश्य देंगे, जिससे राष्ट्र को उद्देश्यपूर्ण और अर्थपूर्ण दिशा प्राप्त हो सके।

महोदय अपने दल फार्वर्ड ब्लाक की ओर से मैं एक बार फिर आपको बधाई देता हूँ और इस सदन में आपके कर्तव्यपालन में पूर्ण सहयोग का आश्वासन देता हूँ।

डा० फारुक अब्दुल्ला (श्री नगर) : महोदय, नेशनल कान्फ्रेंस की ओर से मैं आपको बधाई देता हूँ। मेरे जैसे और भी ऐसे सदस्य इस सदन में हैं जो इस संसद् में

नये आये हैं। हम केवल विपक्ष मात्र बनकर नहीं आए हैं, बल्कि मेरा तो सदैव यह विचार रहा है कि हम सब यहां भारत का निर्माण करने आए हैं। और भारत का निर्माण करने के लिए हमें, चाहे हम विपक्ष में हों, चाहे हम बहुमत में या अल्पमत में हो, एक होना पड़ेगा। इसके लिए हमें अभी से यह सोचना शुरू नहीं करना चाहिये कि विगत में क्या हुआ। हमें इस राष्ट्र को बनाने के बारे में सोचना चाहिये जो आजादी के 33 वर्ष बाद भी अन्य देशों से बहुत पीछे है। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम नौजवान जो इस सभा में आये हैं, अपना कर्तव्य निभायेंगे। हम गरीबी को हटाना चाहते हैं, हम कष्टों को हटाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं।

मैं अनुभव करता हूँ कि विपक्ष में बैठने के बावजूद भी हम एक हैं। हम सब इस महान् राष्ट्र भारत के रहने वाले हैं। मेरे विचार में समूचे विपक्ष को भारतीयों के रूप में एक होना चाहिये और रुकी हुई गाड़ी को आगे चलाना चाहिये। हमें विरोध के लिए ही विरोध नहीं करना चाहिये। हमारा विरोध रचनात्मक होना चाहिये अन्यथा हम प्रगति की चलती गाड़ी को रोक लेंगे।

भारत को आज भीतरी तथा बाहरी खतरों का सामना करना पड़ रहा है। भारत के उपर मंडराते बादलों को दूर करने के लिये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ।

मैं आपको नेशनल काँग्रेस और इस सदन के नौजवानों की ओर से आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम किसी भी पक्ष में बैठें, हम सब का काम देश का निर्माण करना है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वह आपके राष्ट्र की रक्षा करने के लिये साहस तथा लम्बी उमर दें।

श्री एन० सुन्दरराजन (सिवकासी) : अध्यक्ष महोदय, आल इंडिया अन्ना द्रमुक संसदीय दल की ओर से इस पद पर आसीन होने के लिये मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ।

लोक सभा के पोठासीन अधिकारी की गौरवमयी परम्परायें होती हैं जिन्हें आपके ख्यातिप्राप्त पूर्वाधिकारियों ने समृद्ध किया है। आपका सर्वसम्मत चुनाव आपके सर्वोत्तुखी व्यक्तित्व को मान्यता देने तथा इस सभा द्वारा उच्च परम्पराओं के अनुसार कार्य संचालन करने सम्बन्धी आपके प्रति विश्वास प्रकट करने का प्रतीक है। आप इस सभा के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के संरक्षक हैं और हमें विश्वास है कि आपके हाथों हमारे अधिकार सुरक्षित हैं।

मैं अपने दल की ओर से आपको पूरा सहयोग देने का आश्वासन देना चाहता हूँ और सभा को गौरवमयी देश के हित में उंबाईयों को ओर ले जाने की कामना करता हूँ।

श्री फ्रैंक ऐंथनी (नाम निर्देशित-अंग्ल-भारतीय) : अध्यक्ष महोदय, आपके इस उच्च और जिम्मेवार पद पर आसीन होने के लिये मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस सभा के वरिष्ठतम सदस्य के नाते मैं आपका स्वागत करता हूँ। मुझे 1942 से 1977 तक अर्थात् लगातार पिछले 35 वर्षों से इस सभा का सदस्य होने का सौभाग्य मिला है। पिछले 35 वर्षों के दौरान मैंने संसदीय इतिहास और परम्पराओं को अपनी आंखों से बनते हुये देखा है।

समय समय पर अध्यक्षगण अपनी क्षमताओं के अनुसार अपने-अपने दृष्टिकोण में भिन्न रहे हैं। मैं कोई तुलना नहीं करना चाहता। लेकिन क्या मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि अनुभव से मुझे पता चला है कि जो भावलंकर हमारे एक महानतम अध्यक्ष हुये हैं। उनके बारे में कहा जाता था कि वे अत्यधिक सख्त थे। मेरे विचार में वे दृढ़ थे और उसी कारण वे सभा की प्रतिष्ठा ही नहीं बल्कि संसदीय वादविवाद के उच्चतम स्तर को बनाये रखने में सक्षम थे। उसके बाद मर्यादा तथा वाद-विवाद के स्तर में धीरे-धीरे गिरावट आती रही और कार्य कभी तो सभा शोरगुल का दृश्य प्रस्तुत करती रही। मैं इसकी तुलना किसी अन्य रूप में नहीं करूँगा। कभी-कभी कुछ वरिष्ठ सदस्यों को यह देख कर उदासीनता हुई कि कुछ सदस्य पीठासीन अधिकारी के निर्देशों का उल्लंघन करने में विशेष रुचि लेते हैं। कुछ सदस्यों के लिये शून्यकाल गुंडागर्दी सरीखे कृत्य करने का अवसर मात्र बन गया है। कुछ अध्यक्ष दुर्भाग्यवश कमजोर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको निष्पक्ष रख रखना पड़ेगा। आपको कुछ नमी से भी काम लेना पड़ेगा। वादविवाद के दौरान लोग आवेश में भी आ सकते हैं असंसदीय भाषा भी बोल सकते हैं लेकिन यदि वे पीठासीन अधिकारी के आदेश का उल्लंघन करते हैं तो इस प्रकार की अव्यवस्था से आपके उच्च पद तथा सदन का अवमान हो सकता है। अतः मैं सादर निवेदन करूँगा कि पीठासीन अधिकारी को दृढ़ता से काम लेना पड़ेगा।

चुने जाने के बाद आप सभा के संरक्षक बन गये। आप सभा के हैं। जैसे कि चौधरी साहब ने कहा, आप किसी भी दल से सम्बद्ध नहीं होने चाहिये। दुर्भाग्यवश भारतीय राजनीति में खिचड़ी प्रवृत्ति के कारण स्वस्थ परम्पराओं का विकास नहीं हो सका है। वर्षों से हम यह परम्परा बनाने की कोशिश करते रहे कि सामान्य चुनावों में अध्यक्ष का विरोध न हो लेकिन राजनैतिक दल नहीं माने। जहाँ तक किसी दल से त्यागपत्र देने का प्रश्न है, उसके बारे में भी यह परम्परा बन गयी है कि अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल की संसदीय पार्टी का सदस्य न हो लेकिन मेरे विचार में कुछ अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल के सदस्य बने रहें और विपक्ष कम प्रभावी होने के कारण आपको विपक्ष को वादविवाद के लिये गैर अनुपादतक अवसर देना होगा। सत्तारूढ़ दल के भारी बहुमत होने के कारण, असहनशील होने की प्रवृत्ति हो सकती है। उन्हें सावधानी से काम लेना होगा। लेकिन ताली दोनों हाथों से बजेगी विपक्ष को भी सबर से काम लेना पड़ेगा उन्हें निराशा भी हो सकती है जिसके कारण गैर-जिम्मेवार प्रवृत्ति की झलक भी सामने आ सकती है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड ह्विर) : 57 प्रतिशत मत लेने के बाद। (व्यवधान)

श्री फ्रैंक एंथनी : गैर-जिम्मेवारी की भावना 67 प्रतिशत नहीं होनी चाहिये।

एक माननीय सदस्य : आप 100 प्रतिशत गैर जिम्मेवार हो सकते हैं।

श्री फ्रैंक एंथनी अध्यक्ष महोदय, सभा के सारे वर्ग सभा में मर्यादा लागू करने के लिये सावधान रहेंगे। क्या मैं आदर सहित यह कह सकता हूँ कि काफी सदस्य नये आये हैं लेकिन छोटी-छोटी बातों के लिये भी हम सीधी दिशा में चल सकते हैं। माननीय सदस्यों को शुरू से ही जानना चाहिये कि जब आप अथवा सभापति बोलने लगे रहे हों तो उन्हें बोलने के लिये खड़े नहीं होना चाहिये। उन्हें इस सभा में मेले का वातावरण नहीं बनाना चाहिये। उन्हें आप तथा वक्ता के बीच इधर-उधर नहीं चलना चाहिये। अभी तक कई बार सभा का समय नष्ट हुआ है। कुछ माननीय सदस्य व्यवस्था के प्रश्न पर

15, 20 मिनट तक भाषण देते हैं। मुझे पता है कि कुछ माननीय सदस्यों को आवश्यक ज्ञान ही नहीं है। आशा है कि वे आवश्यक ज्ञान का अर्जन करेंगे।

क्या चुनौतीपूर्ण कार्यभार निभाने के लिये मैं आपका स्वागत करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे अध्यक्ष पद के लिये सर्वसम्मति से चुनने के लिये और मुझे अपना विश्वासपात्र बनाने के लिये मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूँ। मैं सभा के नेता का भी आभारी हूँ। मैं लोकसभा के विभिन्न ग्रुपों के नेताओं का भी मेरे जैसे साधारण किसान के बारे में बड़ी बातें कहने के लिये आभारी हूँ।

मैं इस पद तथा श्री विट्ठल भाई पटेल, श्री जी० वी० मावलंकर, श्री एन० संजीव रेड्डी डा० गुरुदयाल सिंह दिल्ली आदि आदि जैसे अपने ख्यातिप्राप्त पूर्वाधिकारियों की उच्च परम्पराओं से परिचित हूँ। कुछ दिनों में हम गणतंत्र की तीसवीं वर्षगांठ मनायेंगे। संविधान से हमें हमारी संसद् मिली है। पिछले तीन दशकों से यह संविधान कई परीक्षाओं से गुजरा है। जो बड़ा काम मुझे सौंपा गया है उससे मैं परिचित हूँ। मैं सभी सदस्यों को एक आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैं संविधान की रक्षा करने तथा इसे ऊंचा उठाने के लिये पूरा-पूरा प्रयास करूंगा। मुझे इस बात का कोई संदेह नहीं कि मुझे आपका पूरा सहयोग तथा मार्गदर्शन प्राप्त होगा। चूंकि अध्यक्ष को सभा के लिये बोलना पड़ता है, इसलिये अब मैं केवल सभा की ही भाषा बोलूंगा।

हर अध्यक्ष जानता है कि उसके आचार तथा व्यवहार की जांच पड़ताल तथा आलोचना होती है। वह आशा करता है कि आलोचना सभा के [दोनों] पक्षों से बराबर होगी। यदि वह अपनी बात पर अड़े तो उसे घमंडी भी कहा जा सकता है। यदि वह सभा की प्रतिष्ठा तथा मर्यादा न बनाये रख सके तो उसे कमजोर कहा जाता है। लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि मुझे घमंडी या कमजोर कहा जाये। मैं इस बात को जानता हूँ कि अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये, अध्यक्ष को न केवल निष्पक्ष होना चाहिये बल्कि सभा तथा देश भी उन्हें वैसा ही देखे। जब मुझे संसद् के लिये चुना गया तो मैं एक राजनैतिक दल के सदस्य के रूप में चुना गया जिसे मेरा सम्बन्ध काफी समय से था अध्यक्ष के नाते मैं आप सब का मित्र हूंगा, चाहे आप किसी भी पक्ष में बैठें।

माननीय मित्रगण मैं अध्यक्ष के रूप में माननीय सदस्यों के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों की रक्षा करने के अपने परम कर्तव्य को भली-भांति समझता हूँ। मैं केवल आप लोगों को यह आश्वासन दे सकता हूँ कि मैं आपकी आशाओं के अनुकूल कर्तव्य निभाने का भरसक प्रयास करूंगा। यह मेरा परम सीभाग्य होगा कि मैं इस सभा की गरिमा को और ऊंचा उठाऊँ और जो पद मुझे सौंपा गया है मैं उसकी प्रतिष्ठा को और अधिक बढ़ाऊँ। आखिर, अध्यक्ष भी आप लोगों की तरह सभा का एक सदस्य होता है। वह समूची विद्वता तथा सभी संवैधानिक बारीकियों का ज्ञान रखने का दावा नहीं कर सकता है मैं सभा की गरिमा को बनाये रखने के लिए इस पद की शक्तियों का उपयोग अपने कर्तव्य के रूप में करूंगा न कि एक प्राधिकार के रूप में।

स्वतंत्र वाद विवाद, उद्देश्य पूर्ण विचार, तथा सौद्देश्यपूर्ण आलोचना संसदीय लोकतंत्र का जीवन तथा शक्ति होती है। अपनी जिम्मेदारी के एक अंश के रूप में मैं इस उद्देश्य

के सवर्धन हेतु पूरा प्रयास करूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि स्वतंत्र तथा स्वच्छन्दता से चर्चा करने के आपके अधिकार को मैं प्रोत्साहन देता रहूंगा किन्तु सभा में चर्चा संगतपूर्ण होनी चाहिये। मैं सभी पक्षों के माननीय सदस्यों की बात खुले मन से सुनूंगा।

विभिन्न मामलों पर माननीय सदस्यों के भिन्न-भिन्न विचार तथा भिन्न-भिन्न रायें हो सकती हैं। किन्तु हममें से प्रत्येक के लिए एक बात अर्थात् राष्ट्र की समृद्धि तथा प्रगति तथा जनसाधारण का हित सामान्य है। मुझे आशा है और मेरी यह प्रार्थना भी है कि हम सदभाव तथा समुचित सूझबूझ के साथ लोगों की आकांक्षाओं के अनुकूल कार्य करेंगे।

आप सभी जानते हैं कि विश्व में हमारा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के कारण समूचे विश्व की नजरें हमारे पर पड़ी हुई हैं। हाल ही में हुए चुनावों ने पुनः समूचे मानव समाज के समक्ष यह सिद्ध कर दिया है कि हमारे लोगों की संसदीय लोकतंत्र में कितनी आस्था है। सौभाग्य की बात है कि भारतीय लोकतंत्र विश्व के स्वस्थतम लोकतांत्रिक देशों में से एक है। मतदाताओं ने फिर एक बार देश को कानून के अनुसार चलाने के लिए अपना स्पष्ट निर्णय तथा आदेश दे दिया है। मैं आप जैसे योग्य कुशल तथा निपुण संसदविदों को सीख नहीं दे रहा हूँ। मुझे पूरी आशा है कि हम सब अपने आपको उस विश्वास के योग्य सिद्ध कर सकेंगे जो कि मतदाताओं ने हममें व्यक्त किया है। आइये, हम यह सिद्ध करके दिखा दें कि यह संसद् इस देश के महान लोगों की स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र के ढाँचे के अन्दर समृद्धि के लक्ष्य तक ले जाने में सक्षम है।

मितरण, मैं लोक सभा को देश की एकता का प्रतीक समझता हूँ। हमारे विशाल देश के भिन्न-भिन्न पहलू तथा पक्ष यहां अपने परिपूर्ण रूप में अपने को प्रतिविवित करते हैं। साथ ही आपके विचारों कृत्यों तथा संकल्पों में देश की एकता झलकती है। प्राचीन काल से ही हमारे यहां लोकतांत्रिक सरकार का सिद्धांत चलता रहा है, जिसमें सार्वजनिक कार्य के लिए सभी की सहमति प्राप्त होती रही है।

स गच्छध्वं सं वदध्वं

सं वो मनांसि जानताम्

मैं ऋग्वेद का एक उद्धरण देता हूँ और आपसे इस सम्माननीय सभा में सौदृश्य पूर्ण कृत्य करने की प्रार्थना करता हूँ।

समानं मंत्रः समितिः समानी

समानं मनः सहचित्तमेषाम्

अर्थात्

हमारे विचार अच्छे हों; हमारा मिलन सभी लोगों को समान रूप से समृद्धि लाये; हम स्वरैक्य से सबके हितार्थ विचार करें।

धन्यवाद

सभा कल 23 जनवरी, 1980 को राष्ट्रपति के अभिभाषण के आधे घंटे पश्चात् पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है ।

मध्याह्न पश्चात् 12.10 बजे

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 23 जनवरी, 1980/3 माघ, 1901 (शक) को राष्ट्रपति के अभिभाषण के आधे घंटे पश्चात् तक के लिए स्थगित हुई ।